

पत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

- आदेश -

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी थनेरिया  
मू.अ.नि. मेहनूरिया की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरा  
तहसीलदार रेलमगरा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्थान अधिनियम  
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम छापरी तहसील रेलमगरा व  
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 178 में  
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल  
दरामद के आदेश दिये जाते हैं -

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जाती है)
	<u>छापरी</u>	<u>178</u>	<u>मादु पुत्र किशोर गाडरी रहन - M.A.G.B-दरीबा</u>	<u>मादु पुत्र किशोर गाडरी रहन - राजस्थान गाम्भीर केठ - दरीबा</u>

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

दिनांक :- 10/10/25

क्रमांक - 278  
प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजावावे।
2. प्रार्थी श्री को सूचनाार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर